

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 15, बुधवार, श॥के 1947- फरवरी 04, 2026 Magha 15, Wednesday, Saka 1947- February 04, 2026	

भाग 6 (ख)

**जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
नगरीय विकास विभाग**

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 07, 2025

संख्या प.12(03)नविवि / दौसा-बांदीकूई /2025-15369 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, दौसा-बांदीकूई द्वारा राजस्व ग्राम खेडली सुरजपुरा के खसरा न. 952/506, 951/506, 501/872, 503/873, 505/874, 507, 509 कुल रकबा 46.62 है० में "दीनदयाल उपाध्याय योजना" बहुउद्देशीय आवासीय योजना विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्तावित योजना की सीमार्ये निम्नानुसार है:-

उत्तर:- ग्राम खेडली सुरजपुरा के खसरा न. 952/506 को सम्मिलित करते हुए।

दक्षिण:- ग्राम खेडली सुरजपुरा के खसरा न. 952/506, 507, 509 को सम्मिलित करते हुए।

पूर्व:- ग्राम खेडली सुरजपुरा के खसरा न. 952/506 पार्ट को सम्मिलित करते हुए 505/874, 503/873, 501/872 को सम्मिलित करते हुए इसकी लाइन में खसरा न. 260 को छोड़ते हुए।

पश्चिम:- ग्राम खेडली सुरजपुरा के खसरा न. 952/506 को सम्मिलित करते हुए।

उपरोक्त योजना क्षेत्र में प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी बायपास सड़क, प्रस्तावित बाय पास के समानांतर 30 मीटर चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी को यथावत रखते हुए परिधि नियंत्रण पट्टी प्रयोजनार्थ आरक्षित भाग में परिधि नियंत्रण पट्टी में DCPR के अनुसार अनुमत उपयोगों के अनुरूप ही प्रस्तावित योजना में उपयोग प्रस्तावित किया जावे।

उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और नक्षा नगर विकास न्यास, दौसा-बांड़ीकूई के कार्यालय में उपलब्ध है। तथा किसी भी कार्य दिवस में सायं 03.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।